

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - /2022 (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है। जिसके प्राधिकृत अधिकारी श्री भुपेन्द्र सिंह है।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. श्री पंकज कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकुट लाल (ऋणी)  
पता- वार्ड नं. 25, लंका कॉलोनी, जिला बारां राजस्थान- 325205
2. श्री मुकुट लाल शर्मा पुत्र श्री देवीशा (सह-ऋणी)  
पता- वार्ड नं. 25, लंका कॉलोनी, जिला बारां राजस्थान- 325205  
दूसरा पता- प्लॉट नं. बी-245, ब्लॉक-बी, योजना नाकोडा कॉलोनी, माल कल्याणपुरा, तहसील व जिला बारां राजस्थान
3. शिवाजी बाल विद्या मन्दिर (शिवाजी शिक्षा समिति) (सह-ऋणी)  
जरिये सेक्रेट्री मुकुट लाल शर्मा
4. हरिशंकर पुत्र श्री मोती लाल (सह-ऋणी)  
पता- 53, बैरागी मोहल्ला, शककरवाडा, तहसील किशनगंज जिला बारां - 325216

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 4/10/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है, प्राधिकृत अधिकारी श्री भुपेन्द्र सिंह है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 22 फरवरी, 2016 को 10,00,000/- रुपये (अक्षरे दस लाख रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे श्री मुकुट लाल शर्मा पुत्र श्री देवीशा की सम्पत्ति- प्लॉट नं. बी-245, ब्लॉक-बी, आराजी खसरा नं. 247/379/34, नाकोडा कॉलोनी, माल कल्याणपुरा, तहसील व जिला बारां, जिसका कुल क्षेत्रफल 11.24 है, का ग्यार फीट है, एवं चतुर्थ सीमा- रास्ता, पश्चिम में कृषि भूमि, उत्तर में नाकोडा कॉलोनी, दक्षिण में कृषि भूमि है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम

जिला मजिस्ट्रेट  
बारां

व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 7,54,008/- (अक्षरे सात लाख चोपन हजार आठ रूपये) बकाया राशि दिनांक 14.12.2021 तक शेष देय है व दिनांक 15.12.2021 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "राष्ट्रदूत" में दिनांक 05.01.2022 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 05.01.2022 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री मुकुट लाल शर्मा पुत्र श्री देवीशा की सम्पत्ति- प्लॉट नं. बी-245, ब्लॉक-बी, आराजी खसरा नं. 247/379/348/350, नाकोडा कॉलोनी, माल कल्याणपुरा, तहसील व जिला बारां, जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 स्क्वायर फीट है, एवं चतुर्थ सीमा- रास्ता, पश्चिम में कृषि भूमि, उत्तर में नाकोडा कॉलोनी, दक्षिण में कृषि भूमि है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 4/10/2022 को सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला नजिस्ट्रेट  
बारां